तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील नामांतरण [illegible]
24/3/25	पत्रावली पेश की [illegible] अधिकारी न्यायालय [illegible] के अनुसार 20/4/25 को पेश हो।
20/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2/5/25 को पेश हो।
2/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० पुकार वास्ते आदेश दिनांक 16/5/25 को पेश हो।
16/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर प्रसारित किया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 15 / 2023

1. गयालाल
2. हरिदत्त पुत्रान नदले
3. देवीराम
4. भोलाराम पुत्रान चन्दन समस्त जाति धाकड निवासी मुढेरा तह0 उच्चैन। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
2. श्रीमान भू—प्रवन्ध अधिकारी अधिकारी भरतपुर जिला भरतपुर।
3. अमरसिंह
4. किशनसिंह
5. जगदीश प्रसाद
6. पोथी प्रसाद
7. मुन्ना लाल
8. राजेन्द्र सिंह पुत्रान मांगीलाल
9. मोहन प्रकाश पुत्र पुरूषोत्तम लाल पुत्र मांगीलाल
10. अशर्फी पुत्री मांगीलाल
11. गव्वर सिंह
12. महेश चन्द पुत्रान मनीराम
13. जग्गो राम
14. व्रज किशोर
15. सूखाराम पुत्रान लोहरे
16. दीपचन्द
17. तेजसिंह
18. वच्चू सिंह
19. महाराज सिंह
20. हरदेव पुत्रान चम्पालाल
21. लीला
22. मैमो पुत्रीयान चम्पा
23. परमसुख
24. मदनसिंह पुत्रान पातीराम सभी जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

1.श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—16.05.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख.नं. 924 रकवा 0.24है0 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जो आ0ख0नं0 913, 914, 915 व 916 के तरफ दक्षिण चपेटा स्थित है और इसके तरफ दक्षिण को अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 925 रकवा 0.23है0 चपेटा स्थित है। प्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने अपनी खातेदारी के दीगर ख.नं. 913(साविक ख.नं. 771) से लगे आ0ख.नं. 924 रकवा 0.24है0 का तरफ पश्चिम का निस्फ हिस्सा प्रार्थीगण सं. 3 व 4 के पिता चन्दन से खरीद किया था और मौके पर कब्जा प्राप्त किया था जिस पर प्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने इसके तरफ पश्चिम के अपने कब्जा के निस्फ रकवा के कुछ रकवा में अपनी पुख्ता मकानियत तामीर कर रखी है डीप बोर लगा रखा है और सबमर्सिबल डाल रखी है तथा कृपि विधुत कनैक्शन ले रखा है और शेष रकवा में प्रार्थीगण सं0 1 व 2 अपनी काश्त करते है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 3 व 4 भी तरफ पूर्व के अपने निस्फ हिस्सा में अपनी अलग काश्त करते है। प्रार्थीगण के कब्जा की इस आ0ख0नं0 924 के तरफ दक्षिण में स्थित आराजी ख0नं0 925 रकवा 0.23है0 पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजी के साविक ख.नं. 1226/772 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा का हाल ख.नं. 924 रकवा 0.24है0 है और अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी के साविक ख.नं. 1227/772 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा का हाल ख.नं. 925 रकवा 0.23है0 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने साविक ख.नं. की दर्ज खातेदारी के अनुसार व रकवा के अनुसार आज तक काबिजान आराजी है। परन्तु गत सैटिलमेंन्ट वर्ष 2005 के दौरान विभाग के कार्मियों ने उक्त दोनों विवादित आ0ख0नं0 हाल 924(साविक 1226/772) व ख.नं. हाल 925(1227/772) के कब्जा व रकवा की मौके पर उचित जांच पडताल किये बिना प्रार्थीगण के कब्जा की आ0ख0नं0 924 का रकवा 0.24है0 के बजाय 0.23है0 अंकित कर इसकी खातेदारी प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थीगण के नाम कब्जा काश्त के विपरीत गलत दर्ज कर दी और इसके बदले में वाइस—वार्सा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आ0ख0नं0 925 का रकवा 0.23है0 के स्थान पर बढा कर 0.24है0 गलत अंकित करते हुए इसकी खातेदारी का इन्द्राज अप्रार्थीगण के स्थान पर हम प्रार्थीगण के नाम खिलाफ कब्जा मौका गलत दर्ज कर दिया है। जबकि मुताबिक इन्द्राजात साविक ख0नम्बरान हाल ख0नं0 925 का रकवा 0.23है0 व खातेदारी मुताबिक कब्जा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होना कानूनन आवश्यक है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 924 व 925 बाबत् रिकार्ड की उक्त अशुद्धियों की दिनांक 29.05.2023 को जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने उसी दिन अप्रार्थीगण से खातेदारी व रकवा की अदल—बदल के गलत इन्द्राजात को मुताबिक कब्जा व साविक रिकार्ड शुद्ध कराने को कहा तो उनके द्वारा इस बाबत् टालमटोल करते हुए कोई समाधानप्रद जबाव नहीं दिये जाने पर प्रार्थीगण ने रिकार्ड के शुद्धिकरण के लिये अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 से निवेदन किया तो उन्होंने इस बाबत् न्यायालय श्रीमान से आदेश लाये जाने के लिए निर्देशित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगा0 24 बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार उच्चैन ने जबाव पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में आराजी ख.नं. 924/0.23 अमरसिंह किशनसिंह वगै. जाति धाकड सा. देह खातेदार के नाम रिकार्ड दर्ज है एवं ख.नं. 925/0.24 गयालाल हरिदत्त वगै. जाति धाकड सा. देह खातेदार के नाम रिकार्ड दर्ज है। जबकि गत जमाबंदी संवत् 2070–73 में ख.नं. 1226/772 रकवा 1–09 बीघा (नया ख.नं. 924) गयालाल हरीदत्त वगै. के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है एवं 1227/772 रकवा 1–08 बीघा (नया ख.नं. 925) अमरसिंह किशनसिंह पि. मॉगीलाल वगै. के नाम रिकार्ड में दर्ज है। नये नक्शे में उत्तर दिशा में ख.नं. 924 एवं ख.नं. 925 दक्षिण में दर्ज है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 772 के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 19 सहखातेदार थे। विभाजन पश्चात उक्त आराजी के दो नये खसरा नम्बर क्रमशः 1226/772 रकवा 1बीघा 09 विस्वा, 1227/772 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा बने। खसरा नम्बर 1226/772 पर प्रार्थीगण काबिज थे एवं उक्त नम्बर पर प्रार्थीगण ने पक्का मकान बना लिया। जबकि खसरा नम्बर 1227/772 अप्रार्थीगण का है। दोनों नम्बर आपस में लगे हुये है। सैटलमेंन्ट पश्चात खसरा नम्बर 1226/772 का नया नम्बर 924 बना जो की प्रार्थी के नाम करने की बजाय अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया एवं 1227/772 का नया नम्बर 925 बना जिसको प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। खसरा नम्बर 924 को प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं जबाव तहसीलदार का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सैटलमेंन्ट से पूर्व का कोई भी राजस्व नक्शा या अन्य कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिसके की यह साबित हो सके की सैटलमेंन्ट पूर्व प्रार्थी की आराजी किस दिशा में स्थित थी। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 111,136 के तहत पेश किया गया है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मुख्य रूप से भूमि से संबंधित सीमा विवादों से संबंधित है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

Bharti'

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)